• 15 साल पुराने...

वाहन किए जाएंगे स्क्रैप

शिमला : देश में सड़कों पर बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या से पर्यावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है।

इसके तहत सड़कों पर 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल के वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नियम को 25 सितंबर 2021 को लागू किया था। हालांकि अभी ये पॉलिसी सरकारी वाहनों पर ही लागू है। निजी वाहन मालिक स्वेच्छा से पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 29 (ई) के तहत 16 जनवरी 2023 को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के नियमों को लेकर संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी थी।

इस अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरे होने पर सरकारी वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया है। इसी तरह से सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द समझा जाएगा. ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं।

प्रदेश में 15 साल पुराने कुल 389 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं। परिवहन विभाग की ओर से इस साल 8 जुलाई तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 168 सरकारी वाहनों सहित 221 निजी वाहनों को पड़ोसी राज्य में स्थापित (आरवीएसएफ) केंद्र के माध्यम से स्क्रैप किया जा चुका है। वहीं, प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक 15 साल पूरा कर चुके सरकारी वाहनों की संख्या 7,436 थी, जो 8 जुलाई 2024 तक बढ़कर 7,554 तक पहुंच गई। करीब 16 महीने के अंतराल में 15 साल पूरा कर चुके 118 वाहन इस संख्या में और जुड़े हैं।

प्रदेश में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में अभी पड़ोसी राज्यों में ही वाहनों को स्क्रैप किया जा रहा है जिसमें अभी तक 168 सरकारी व 221 निजी वाहनों को पड़ोसी राज्य में स्थापित (आरवीएसएफ) केंद्र के माध्यम से स्क्रैप किया गया है।

• फायदा...

टीजीटी अध्यापकों को वरिष्ठता व लाभ जारी करने के आदेश

शिमला : हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में नियुक्त टीजीटी अध्यापकों की नियुक्ति 1 मई 2003 से मानते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से वरिष्ठता सहित अन्य लाभ जारी करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार व अन्यों द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट पर हैरानी जताते हुए कहा कि कोर्ट यह समझने में विफल है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले से जुड़ी एसएलपी संख्या 22215/22 में कोई स्थगन आदेश हासिल किए बिना, हाईकोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूपीओए संख्या 3435/2020 में पारित फैसले के कार्यान्वयन को कैसे रोक सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह दलील भी कैसे दे सकती है कि वह 2002 में चयनित प्रार्थीयों सहित अन्य अध्यापकों की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने सीडब्ल्यूपीओए नंबर 3435/2020 में पारित आदेशों को तुरंत लागू करने और 23 अगस्त तक अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए। मामले के अनुसार शिक्षा विभाग ने 18 जून 2002 को अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड हमीरपुर को टीजीटी के सभी संकायों के पदों को भरने हेतु एक मांग पत्र जारी किया। इस पर बोर्ड ने 26 सितम्बर 2002 को परीक्षा आयोजित की और परिणाम 30 अक्तूबर 2002 को जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने बिना कारण चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को करीब 7 सालों तक लटकाया और अंतत: 24 अगस्त 2009 उन्हे नियुक्तियां दे दी गई। यह नियुक्तियां नियमित न देते हुए अनुबंध आधार पर दी गई। कुछ शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की इस कार्यवायी के खिलाफ याचिका दायर कर उन्हे नियमित नियुक्त मानते हुए सभी सेवा लाभ दिए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने उनकी मांग स्वीकारते हुए उन्हें अनुबंध की बजाए नियमित नियुक्ति देने के आदेश जारी किए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 8 जनवरी 2018 को टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की वरिष्ठता सूची जारी की। यह सभी टीजीटी अध्यापकों के केडर की पूरी सूची नहीं थी। इनमें प्रार्थियों के कनिष्ठों को उनसे वरिष्ठ दर्शाया गया था। प्रार्थियों ने इस वरीयता सूची को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उन्हें बैक डेट से रेगुलर मानते हुए उक्त वरिष्ठता सूची को पुन: जारी करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा था कि सरकार ने मनमाने ढंग से प्रार्थियों को 2002 में सफल होने के बावजूद समय पर नियुक्तियां नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां किसी अपरिहार्य कारणों से ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों तक टालना ही तर्कसंगत हो सकता है। इस मामले में जब प्रार्थियों के चयन का परिणाम 30 अक्तूबर 2002 को जारी हो गया था तो उन्हें अधिकतम 1 मई 2003 से पहले नियुक्तियां दे दी जानी चाहिए थी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने यह बात आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को समय पर उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं...

चिकित्सा मशीनरी और उपकरण खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

● संजू/शिमला

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों के लिए आधुनिक मशीनरी और उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को घरद्वार के निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत आधुनिक तकनीक और उपकरणों के उपयोग पर विशेष अधिमान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मशीनरी और उपकरणों की खरीद में तेजी लाने के लिए खरीद संबंधी तकनीकी वशिष्टताओं को एम्स और पीजीआई की तर्ज पर रखा जाए। इससे खरीद में गुणवत्ता सुनिश्चित होने के अलावा खरीद प्रक्रिया, समय और धन की बचत होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने यह बात आज यहां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को समय पर उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान किये जा रहे हैं, ताकि राज्य के लोगों को उपचार के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े।

उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं के लिए बेबी केयर किट खरीदने के दृष्टिगत निविदा जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। प्रत्येक किट की लागत लगभग 1500 रुपये होगी। राज्य में एक वर्ष में लगभग एक लाख संस्थागत प्रसव होने का अनुमान है और प्रदेश सरकार ने बेबी किट के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि इस किट में 20 वस्तुएं शामिल होंगी, जिनमें डिजिटल थर्मामीटर, नेल कटर, टोपी, सॉफ्ट ब्रिस्टल हेयर ब्रश, बिब, बच्चे के लिए वॉश क्लॉथ और मां के लिए सेनिटरी नैपकिन जैसी आठ नई वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बच्चे के लिए वन पीस स्लिप-ऑन आउट फिट, बेबी वेस्ट (दो), बेबी मिटनस, और बुटिस, बच्चों की मालिश का तेल, तौलिया, कपड़े के नेपी, हेंड सेनेटाईजर, मछरदानी, मिंक कम्बल, रेटल टॉय, मलमल/फूलालैन (दो) तथा मां के लिए टूथ ब्रश, पेस्ट, नहाने का साबुन और वैसलीन इत्यादि भी शामिल होंगे।

इसके उपरांत स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम लिमेटिड (एचपीएमएससीएल) के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न संस्थानों के लिए मशीनरी, वाहन, अस्पताल के फर्नीचर आदि की खरीद प्रक्रिया शुरू करने को भी मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉ. अश्वनी शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान डॉ. राकेश शर्मा, मिशन निदेशक एनएचएम प्रियंका वर्मा और हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम के महाप्रबंधक राजीव कुमार भी बैठक में उपस्थित थे।

तैयारी का जायजा

ऊना : जिला आपदा प्राधिकरण की तरफ से ऊना के डीआरडीए सभागार में आपदा प्रबंधन के तहत मानसून की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीसी जतिनलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से मानसून को लेकर दिए गए दिशा निर्देश का फीडबैक भी लिया। डीसी ने भारी बारिश की स्थिति से निपटने के साथ-साथ बरसात के दिनों में होने वाली जल जनित बीमारियों को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारी का फीडबैक हासिल किया। उन्होंने बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नालों की सफाई सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जल भराव की समस्या ही बरसात के दिनों में डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों का कारण बनती है।

• तैनाती...

आईएएस आशुतोष बने नड्डा के निजी सचिव

शिमला : हिमाचल प्रदेश के 2014 बैच के आईएएस आशुतोष गर्ग को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय कार्मिक विभाग ने आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का निजी सचिव नियुक्त किया है। इस संबंध में देर शाम उप सचिव पूजा जैन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आशुतोष गर्ग वर्तमान में हिमाचल सरकार में विशेष सचिव कार्मिक एवं वित्त विभाग के पद पर तैनात हैं।

इससे पहले वह डीसी कुल्लू रह चुके हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले उनका कुल्लू से तबादला हुआ था। अब वह पांच साल तक दिल्ली में सेवाएं देंगे। 2014 में भी जब जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री बने थे तो उन्होंने हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले आईएएस रितेश चौहान को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्होंने फिर हिमाचल के आईएएस पर भरोसा जताया है।

• ब्रेकडाउन बस...

नाहन : एचआरटीसी की बस सेवा जिला सिरमौर के एक रूट पर यात्रियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। हालत ये है कि बस पिछले तीन दिन से ब्रेकडाउन हो रही है। लिहाजा, यात्रियों में भारी रोष पनप रहा है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के धिनीधाड को लाभांवित करने वाली सराहां–मेंहदोबाग–नैनाटिक्कर होते हुए नाडब खोजर रूट पर भेजी जा रही बस रास्ते में खराब हो गई। बताया जा रहा है कि यह बस 10 पंचायतों से होकर गुजरती है। बड़ी बात यह है कि इस रूट पर ये निगम की एकमात्र बस सेवा है।